



Neutral Citation No. - 2026:AHC:60850

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत दाण्डिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या -
2835/2026

चंद्रेश सिंह गौर उर्फ छुटका

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्ष

आवेदक के अधिवक्ता: आशीष कुमार सिंह, प्रभाकांत सिंह

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभाकांत सिंह और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुरेंद्र सिंह को सुना।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 24/2026, धारा 108, 288, 352, 351(3) बी.एन.एस., थाना- कुरारा, जिला हमीरपुर के अंतर्गत, विचारण के लंबित रहने तक उसे अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। वह निम्नलिखित आधारों पर अग्रिम जमानत चाहते हैं:-
 - (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दो दिनों की देरी से दर्ज की गई है।
 - (ii) आवेदक और उसके पिता को प्राथमिकी में नामित किया गया है, जबकि उनका मृतक से कोई संबंध नहीं है और न ही उन्होंने मृतक की संपत्ति पर कोई दावा किया था। विवाद मृतक और उसके चाचा के बीच है।
 - (iii) सूचनाकर्ता और मृतक ने आवेदक और सह-अभियुक्तों द्वारा किए गए उत्पीड़न के कारण जहर खाया बताया गया है, हालांकि, प्राथमिकी में ऐसे किसी उत्पीड़न का कोई विशिष्ट विवरण नहीं दिया गया है।
 - (iv) आवेदक के पिता ने मृतक के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसे मुकदमा अपराध संख्या 153/2016, धारा 452, 307, 504, 506 आई.पी.सी. के तहत पंजीकृत किया गया था। इसी प्रकार मृतक के भाई ने आवेदक के विरुद्ध एक अन्य प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसे मुकदमा अपराध संख्या 207/2016, धारा 307 आई.पी.सी. के तहत पंजीकृत किया गया था। दोनों मामलों में अंतिम रिपोर्ट (फाइनल रिपोर्ट) प्रस्तुत की गई थी। इस पिछली दुश्मनी के कारण आवेदक को वर्तमान प्राथमिकी में फंसाया गया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(v) मृतक के भाई द्वारा आवेदक के विरुद्ध दर्ज कराए गए उपरोक्त मामले के अलावा, उसे एक अन्य मुकदमा अपराध संख्या 406/2023, धारा 147, 148, 323, 395, 504 आई.पी.सी., थाना कुरारा, जिला हमीरपुर में झूठा फंसाया गया था, जिसमें विवेचना के बाद आवेदक को दोषमुक्त कर दिया गया था।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और तर्क दिया कि आवेदक एक नामित अभियुक्त है। सूचनाकर्ता और मृतक ने अभियुक्तों द्वारा किए गए उत्पीड़न के कारण जहर खाया था और ऐसी परिस्थितियों में आवेदक को अग्रिम जमानत देने पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि आरोप-पत्र केवल सह-अभियुक्त के विरुद्ध दाखिल किया गया है और आवेदक के संबंध में विवेचना अभी लंबित है।
5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।
6. यद्यपि आवेदक प्राथमिकी में नामित है, परंतु आवेदक को मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। आवेदक के पिता ने वर्ष 2016 में मृतक के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सूचनाकर्ता पक्ष और आवेदक के बीच विवाद प्रतीत होता है। आवेदक को ग्राम प्रधान बताया गया है। वह मृतक के उस चाचा से संबंधित नहीं है जिसके साथ प्राथमिकी संपत्ति विवाद का संकेत देती है। आवेदक पूर्व अपराधी नहीं है। विवेचना के दौरान परीक्षित स्वतंत्र गवाहों—संतोष सुपुत्र पुत्तन, राम सज्जन यादव सुपुत्र मथुरा और श्रीराम सुपुत्र लल्लू ने धारा 180 बी.एन.एस.एस. के तहत अपने बयानों में कहा है कि आवेदक को झूठा फंसाया गया है और विवाद सह-अभियुक्त लल्लू और मृतक के बीच था।
7. उपरोक्त सभी कारकों, आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की प्रकृति और गंभीरता, विवेचना के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों और अन्य संबंधित कारकों (ऐसे अपराधों को दोहराने की संभावना सहित) को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत देना उचित समझता हूँ।
8. उपरोक्त के आलोक में, आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
9. आवेदक- चंद्रेश सिंह गोर उर्फ छुटका की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपरोक्त मुकदमा अपराध में एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां संबंधित थाना प्रभारी/न्यायालय के संतोषानुसार प्रस्तुत करने पर तत्काल अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-
 - i. आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
 - ii. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे;
 - iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
 - iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं;
10. किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, संबंधित न्यायालय जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



11. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दी गई टिप्पणियां विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निपटारे के लिए हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

24 मार्च, 2026

ए. पाण्डेय

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"